राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

नव चेतना केन्द्र 10, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 में समूह 'ग' के पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

संख्या–1024(ए)/1001/दो/2017 **दिनांक–21.06.2017**

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सूडा/डूडा के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हेतु राजकीय विभागों में कार्यरत इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन–पत्र निम्न प्रारूप पर पूर्ण सेवा–विवरण एवं सेवायोजक / सक्षम प्राधिकारी की अनापत्ति एवं अग्रसारण सहित दिनांक **05–07–2017** तक आमंत्रित किये जाते हैं –

पदों का विवरण, वेतनमान एवं अर्हताएं:–

क0सं0	**पदनाम**	**पद हेतु निर्धारित वेतनमान**	**अर्हताएं**
1.	परियोजना अधिकारी	9300–34800 ग्रेड पे–4200 (अपुनरीक्षित) छठा वेतनमान	अभ्यर्थी समकक्ष वेतनमान में न्यूनतम तीन वर्ष से कार्यरत हों। अभ्यर्थी के पास शहरी सामुदायिक विकास का 03 वर्ष का अनुभव अथवा समाज कार्य/गृह, बाल विकास /समाज विज्ञान अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग (सिविल तथा वाणिज्य /सांख्यिकी/लेखा की डिग्री योग्यता होगी।
2.	अवर अभियन्ता	9300–34800 ग्रेड पे–4200 (अपुनरीक्षित) छठा वेतनमान	सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एवं समकक्ष वेतनमान में 5 वर्ष से कार्यरत हों।
3.	लेखाकार	9300–34800 ग्रेड पे–4200 (अपुनरीक्षित) छठा वेतनमान	वाणिज्य स्नातक एवं समकक्ष वेतनमान में 5 वर्ष से कार्यरत हों।

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदित पद का नाम
2. अभ्यर्थी का नाम
3. मूल विभाग का नाम/पदनाम
4. गृह जनपद
5. वेतनमान
6. सेवा अनुभव छठे (वेतनमान के अनुसार)
7. वर्तमान पद पर नियुक्ति की प्रकृति
8. शैक्षिकयोग्यता /विशेष योग्यता
9. आरक्षित श्रेणी का विवरण
10. पत्र व्यवहार का पता
11. विभागीय अनुशासंनिक कार्यवाही /सतर्कता जांच इत्यादि का विवरण
12. अनापत्ति प्रमाण–पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत हों
13. अन्य विवरण यदि कोई हो,
14. प्रमाण कर्ता अधिकारी/अग्रसारित करने वाले अधिकारी का पूरा नाम हस्ताक्षर एवं मोहर
15. आवेदन कर्ता की पिछले 05 वर्ष की गोपनीय प्रविष्टियों की प्रमाणित छायाप्रतियॉ।

आवेदन के हस्ताक्षर

नियम व शर्तेः–

1. अभ्यर्थी राजकीय विभाग में कार्यरत स्थायी कार्मिक होना चाहिये। रूग्ण इकाई/विभाग के अभ्यर्थी का आवदेन स्वीकार्य नहीं होगा।